दल्लाराम बनाम हगामी (212)
16/2020

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार कथन दोहराते हुये, प्रार्थना पत्र U.S. 212 रा.का.अधि. स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 अनुसार कथन दोहराये।
उभयपक्षकारान को सुना गया। बहस उभय पक्षकार एवं प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों के गहन अवलोकन व मनन पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधि अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि वे ताफैशला मूलवाद वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी के हक हिस्से एवं अधिकार की हद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगणों को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगणों के हक व अधिकार की हद तक ताफैशला मूलवाद प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का बेचान, हस्तांतरण, कार्यवाही, बेदखली आदि न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से कराने का प्रयास करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner